



सांध्य दैनिक

4 PM



मैंने अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं किया। ये सब मनोरंजन था।

-थॉमस ए. इडीसन

मृत्यु
३/-

जिद... सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/4pm NEWS NETWORK)

• तर्फ़: 9 • अंक: 229 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023

सेलिंग में नेहा ठाकुर ने... 7 | वसुंधरा को किनारे लगाना भाजपा... 3 | अस्पताल बंद कर जनता को किया... 2 |

एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी की प्रताड़ना से ग्रस्त कर्मचारी ने की आत्महत्या

- » कर्मचारी की पत्नी का आरोप- पति को बहुत प्रताड़ित करते थे वीसी
- » एलडीए वीसी पर खुद करोड़ों की हेटाफेरी का आरोप
- » इनकम टैक्स विभाग ने सीज की थी परिवार की संपत्तियां
- » सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल के करीबी होने के कारण नहीं होती है कोई कार्टवाई

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण से नौकरी से निकाले गए सचिव कर्मी ने मंगलवार सुबह फांसी लगाकर जान दे दी। जनकारी के अनुसार एलडीए में तेजान कंप्यूटर ऑफिसर संतोष



गृहक संतोष

जायसवाल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि संतोष को एलडीए वीसी ने काफी बेड़जत किया था जिसे वह बदर्शत न कर सके और आत्महत्या कर ली।

एलडीए वीसी पर सख्त कार्टवाई हो : मालती

सतोष पति मालती जायसवाल ने एलडीए वीसी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इंद्रमणि त्रिपाठी पर ही सख्त से सख्त कार्टवाई करने की मांग की है। मालती ने कहा कि एलडीए वीसी ने गेसा घर बर्बाद कर दिया। गुरुक शतोष को पत्नी ने वह नी जानकारी दी कि वह बीते 10 दिनों से बहुत टेंशन में चल रहे थे।

मंगलवार सुबह परिवार को फंदे से उनका लटका हुआ शब मिला। सतोष अपने पीछे दो छेटे बच्चे पत्नी और बूढ़ी मां को छोड़ गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।

हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले को

दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एलडीए वीसी पर सीएम अफिस के एक बड़े अधिकारी व प्रमुख सचिव सीएम एसपी गोयल का हाथ है। इस बाबत जब एलडीए वीसी के मोबाइल नंबर से संपर्क किया तो उनका फोन नहीं उठा। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी पर कंप्यूटर ऑफेटर संतोष जायसवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। संतोष की पत्नी मालती जायसवाल का कहना था कि कई दिनों से लगातार एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी उनके पति संतोष जायसवाल को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। मालती जायसवाल का कहना कि एक दिन पहले ही कार्यालय में

एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उनके पति के साथ अभद्रता की थी। परिवारी जनों का कहना है कि एलडीए वीसी की लगातार प्रताड़ना से आहत होकर संतोष जायसवाल ने उठा लिया आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

बेनामी संपत्ति को लेकर कोर्ट में चला मुकदमा

एलडीए वीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में बेनामी संपत्ति मामले में मुकदमा भी ढंग। याहिरा में आयकर विभाग के जिस नोटिस व आदेश को युनिटी दी गई, वह

जियमकु के विक्रान्तियां वार्ड अंतर्गत सूजन विहार कॉलोनी की एक संपत्ति से जुड़ा है। 3,680 वर्ग फुट की यह संपत्ति 23 अप्रैल 2016 को मीरा पांडे के नाम से 82 लाख रुपये में खरीदी गई थी। आयकर विभाग का आरोप है कि मीरा पांडे की वर्ष 2015-16 में युल आय 7.30 लाख रुपये थी और इस संपत्ति पर बाई मिजिल के आवासीय निर्णय में एक कोर्ट पाये लाये रहे थे भी लार्ट याहार मृत्यु के बाद विक्रान्तियां वार्ड अंतर्गत सूजन विहार की खंडपाटी संगीता चंद्रा व न्यायमृत मन्दिर कुमार की खंडपाटी में वार्षीय पांडे योगी की ओर से रात्ये सरकार के वर्गानाम में मृत्यु स्थानीय अधिकारी अभिनव नाशराया निवेदी ने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की। इसने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की।

इसने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की। इसने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की। इसने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की। इसने बताया दिनी अधिवक्ता यादिका दाखिल की।

आरीष मिश्रा को शर्तों के साथ सुप्रीम राहत

- » अंतरिम जमानत दी, पर सार्वजनिक समारोह व मीडिया से मिलने पर रोक

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी मामले में अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को सार्वतंत्रिम जमानत दी थी। आशीष मिश्रा और उनके परिवार को संबंधित मामले में गवाहों से दूर रहने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया तो उनके ऊपर कार्टवाई की जाएगी। साथ ही अदालत ने कहा था कि जमानत की शर्तों को अगर किसी भी तरह से तोड़ने की कोशिश हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।



समारोह में भाग नहीं लेगा, साथ ही उन्हें मीडिया को संबंधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है, अदालत ने स्पष्ट किया

कि यूपी में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रही।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा देनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था। बाद में उनकी गिरफतारी हुई थी, वो अभी जमानत पर रिहा हैं।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

- » तीन अक्टूबर को होगी बहस, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख तय की है। बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं को जिला अदालत, मथुरा से अपने पास स्थानांतरित करा लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में जन्मभूमि विवाद से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने



पास स्थानांतरित कराई थी। हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान की है, वहाँ ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है।

